

बंजर-भूमि विकास बोर्ड के स्थान पर तकनीकी मिशन की स्थापना

171. श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में बंजर भूमि विकास बोर्ड के स्थान पर तकनीकी मिशन की स्थापना कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तथा बोर्ड की स्थापना के विशिष्ट लक्ष्य क्या थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बोर्ड अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत नये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सरकार ने परती भूमि विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और उसका स्तर बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर, 1989 को परती भूमि विकास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड अभी विद्यमान है।

(ख) से (ङ) वर्गीकरण और वृक्षारोपण के व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से देश में परती भूमि विकास आरंभ करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर 7 मई, 1985 को राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड (रा० प० भूमि बोर्ड) की स्थापना की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण के वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	लक्ष्य (मि० है० में)	उपलब्धियां (मि० है० में)
1985-86	1.45	1.51
1986-87	1.71	1.76
1987-88	1.79	1.77
1988-89	2.00	2.12
1989-90	1.70	--

वर्ष 1989-90 के लक्ष्यों को इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त किए जाने की आशा है।

बोफोर्स तोप-सौदा

172. श्री राम जेठमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 दिसम्बर, 1989 के "हिन्दू" दैनिक में "बोफोर्स" क्विक स्विस् रेसपोस लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोफोर्स तोप-सौदे में दी गई दलाली के संबंध में इस मामले में अगली कार्यवाही के संबंध में कोई योजनाएं बनाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जो, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भेजे गए अनुरोध-पत्र का स्वीडन सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तेजी से जांच करने के लिए कहा गया है।

ग्राम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि

173. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या खाद्य और नागरिक पूति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में ग्राम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मूल्य-वृद्धि को रोकने तथा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता-वस्तुओं की आसानी से मुलभ कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इस समय बेची जा रही

वस्तुओं के अतिरिक्त और अधिक उपभोक्ता वस्तुओं को बिक्री किये जाने हेतु प्रबन्ध किये जाने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) कुछ चुनो हुई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में पिछले छः महीनों के दौरान एक मिला जुला रुख रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चाा, चाय, चीनी, गुड़, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चावल, ज्वार, अरहर, मूंग, मिर्च, नारियल का तेल और आलू की कीमतों में गिरावट हुई तथा मिट्टी का तेल और सॉफ्ट कोक की कीमतें यथावत रही हैं।

(ख) से (घ) इस समय सत बुनियादी वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल सॉफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़ा केन्द्रीय सरकार द्वारा हासिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए पूर्ति हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों को दिया जाता है। समय-समय पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती रहती है कि वे स्वयं भी जन-उपभोग की अधिक से अधिक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए स्थानीय स्थितियों के आधार पर उपलब्ध करायें। दालें, चाय, दियासलाई, नमक, साइलेंट टायर, साबुन, मोटे अनाज इत्यादि जैसी अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण भी कुछ राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।

सभी के लिए शिक्षा

174. श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "वर्ष

2,000 तक सभी के लिए शिक्षा" का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोई योजना बनायी है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि इस दिशा में अभी तक कोई प्रभावो कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो० एस०जी०के० मेनन) :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह परिवर्तन को गयी है कि वे सभी बच्चे जो वर्ष 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा के जरिए पांच वर्षों अथवा इसके बराबर की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली होगी। इसी तरह वर्ष 1995 तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

(ख) से (घ) पढ़ाई बच में छोड़ कर जाने वाले बच्चों की समस्या का और ध्यान देने और देश भर में बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के प्रयास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियां अपनाने संबंधी नीति के अनुसरण में वर्ष 1987-88 से कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की गयी हैं ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभकरण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में अभिवृद्धि की जा सके। मुख्य योजनाएं ये हैं : (i) देश भर में एकल शिक्षक वाले सभी स्कूलों में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था, कम से कम दो कक्षा वाले भवन की व्यवस्था और प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को अनिवार्य शिक्षण-अध्ययन सामग्रियों के सैट की व्यवस्था के द्वारा भौतिक सुविधाओं के सुधार के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड। (ii) स्कूल बच में छोड़ जाने वालों तथा कामकाजी बच्चों के लिए जो पूरे दिन स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते अनौपचारिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त कई व्यापक कार्यक्रम और